22-06-2018

आवेदक द्वारा श्री बी०एल० राणा अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक की उपस्थिति हेतु नियत है। आवेदन पत्र पर आवेदक की ओर से श्री बी०एल० राणा अधिवक्ता ने बल न देना व्यक्त किया। अतः बल न देने से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम निरस्त किया जाता है। यह आवेदन पंजी से निरस्त कर, परिणाम दर्ज कर

ारस्त कर, परिणाम दर्ज कर प्रान्थावधि में अभिलेखागार भेजा जाव।

सही / —
(वाचस्पति मिश्र)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

THERE SHEET BY ARTERIA STREET, PRINTERS IN PROPERTY AND ASSESSED ASSESSED.